न्यायालय, नीलाम पत्र पदाधिकरी, लोहरदगा।
(नीलाम पत्र शाखा)

(1) वाद संख्या 01/2008–09, टी0आर0 न0 137/20–21

कार्यपालक अभियंता विद्युत वितरण प्रमण्डल, लोहरदगा :–
अधियाचक

बनाम

श्री देवेन्द्र गिरि, पिता–पुनदेव गिरि, ग्राम–अर्रू, पो0–सेन्हा, जिला–लोहरदगा :– देनदार

आदेश

यह वाद कार्यपालक अभियंता विद्युत वितरण प्रमण्डल, लोहरदगा के द्वारा श्री देवेन्द्र गिरि, पिता–पुनदेव गिरि, ग्राम–अर्रू, पो0–सेन्हा, जिला–लोहरदगा के विरूद्ध विद्युत विपत्र राशि मो0 105706.51 (एक लाख सनवन हजार छः रूपये इकावन पैसे) वसूली हेतु वर्ष 2008 में नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है।

यह वाद विभिन्न न्यायालय से होकर दिसम्बर 2020 में इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। इस न्यायालय में यह वाद प्राप्त होने के पश्चात् कार्यालय पत्रांक 246, दिनांक 28.09.2021 के द्वारा अन्तिम रूप से उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। देनदार अगली तिथि अर्थात 07.11.2021 को उपस्थित होकर दिनांक 16.03.2018 को दिये गये आवेदन के संबंध में अधियाचक के जवाब की जानकारी प्राप्त करना चाहा चूंकि कार्यालय पत्रांक 83, दिनांक 16.03.2018 को सीधे कार्यपालक अभियंता विद्युत वितरण प्रमण्डल, लोहरदगा को दी गई थी किन्तु उसका कोई जवाब अभिलेख पर नहीं है।

पुनः इस कार्यालय पत्रांक 591, दिनांक 22.11.2021, पत्रांक 663, दिनांक 01.12.2021, पत्रांक 109, दिनांक 22.02.2022, तथा पत्रांक 230, दिनांक 28.03.2022 के द्वारा स्मारित करते हुए देनदार द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के संबंध में प्रतिवेदन की मांग की गई। जबकि न्यायालय द्वारा कार्यपालक अभियंता को मौखिक रूप से न्यायालय में ही निर्देश दिया गया था। जिसके बावजूद कार्यपालक अभियंता के द्वारा

N3

कोई जवाब नहीं दिया गया और न अधियाचक की ओर से कोई भी प्रतिनिधित्व उपस्थित भी नहीं हुए। ऐसी स्थिति में इस वाद को चलाये रखना न्यायालय के समय की बर्वादी ही है।

अतः उपरोक्त परिस्थिति में देनदार श्री देवेन्द्र गिरि वाद संख्या 01/2008–09, टी0आर0 न0 137/20–21 को लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के धारा 53 (2) के अन्तर्गत खारिज करते हुए कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति अधियाचक को भी दें। अभिलेखागार में जमा करें।

सत्यापित/लेखापित

जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी,
लोहरदगा

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2024.06.26 18:14:59 +05:30
Location: 10.93.49.26